न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज हरप्रसाद बनाम लीलाराम मु.नं. 73/22 (T.I)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/2/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.3.25 को पेश हो। Sd/-	
	18/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र T.I दिनांक 25/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	25/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
73/22	26.08.22	25.03.25

बउनवान

1. हरभान पुत्र रामसहाय, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. धनबाई देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. लीलाराम पुत्र रामसहाय, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
3. उपपंजीयक मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत, श्री रामावतार सिंह नरुका।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक ने इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खतोनी सं. 37 खसरा सं. 636 रकबा 0.35 हैक्टे., 637 रकबा 0.19 हैक्टे., 639 रकबा 0.17 हैक्टे., 640 रकबा 0.17 हैक्टे., 641 रकबा 0.16 हैक्टे., 642 रकबा 0.48 हैक्टे., 643 रकबा 0.37 हैक्टे., 644 रकबा 0.40 हैक्टे., 645 रकबा 0.07 हैक्टे., 646 रकबा 0.25 हैक्टे. कुल किता 10 कुल रकबा 2.61 हैक्टे. वाके ग्राम धौलखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसमें प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/32 है तथा प्रार्थी सं. 2 का हिस्सा 3/32 है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण है जो आराजी को संयुक्त ही काश्त करते चले आ रहे हैं जिनका सजरा निम्न प्रकार है:–

रामसहाय (फौत)

हरभान (पुत्र) लीलाराम (पुत्र)

विवादित आराजीयात का राजस्व रिकोर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है, अभी संयुक्त ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 1 शराबी व्यक्ति है जो आराजी को दीगर व्यक्ति को व लट्ठ वाले व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी सं. 1 ने बंटवारा करवाने से साफ इंकार कर दिया, कहा कि मैं तो अच्छी व रास्ते की तरफ वाली भूमि का बेचान करूंगा। प्रार्थीगण अपनी आराजी में फसल की देखभाल करने दिनांक 22.08.22 को गया तो अप्रार्थी सं. 1 व 2–3 व्यक्ति हाथों में लाठी, डण्डे लेकर शराब के नशे में आ गये व बुरी–बुरी गाली गलौच देने लगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से हाथ

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

जोडकर कहा कि राजस्व रिकोर्ड में बंटवारा करवा कर बेचान करना परन्तु एक भी बात नहीं मानी बल्कि धमकी देते हुये कहा, हम तो इस आराजी पर कब्जे कर फसल काटेगें व दीगर व्यक्तियों को रहन, बेचान करेगें व सायल से आराजी से भाग जाने के लिये धमकी दी, कहा कि तुम्हें बेदखल करेगें। उपरोक्त गैर कानूनी कुचेष्ठा में अप्रार्थी कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अत्यधिक हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई किसी प्रकार संभव नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी द्वारा धमकी देने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी दिनांक 22.08.22 को अप्रार्थी द्वारा भूमि मुतनाजा से बेदखल करने तथा दीगर व्यक्ति को रहन बेचान करने से बिना किसी अधिकार के भूमि मुतनाजा को रहन बेचान बिना तकास्मा के हस्तान्तरित करने की धमकी देने से स्थान धौलखेडा तहसील मण्डावर में पैदा हुई है। अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द नहीं किया किया गया तो प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति उसे किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी, इसलिये अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी प्रार्थीगण की मुतनाजा के कब्जे काश्त की आराजी खेवट खतोनी सं. 37 खसरा सं. 636, 637, 639 से 646, रकबा 2.61 हैक्टे. वाके ग्राम धौलखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में मजाहमत मदाखलत बिना तकास्मा राजस्व रिकोर्ड में फेरबदल नहीं करें। प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी में बेदखल ना तो स्वयं करें, नाहीं अन्य से करावे। रहन, बेचान नहीं करें तथा नाही सायलान के हक हकूक को नुकसान पहुंचाये। रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 636, 637, 639 से 646 वाके ग्राम धौलखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के वर्तमान मौके तथा राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण के द्वारा भूमि के किसी हिस्से का बेचान कर दिया जाता है अथवा किसी हिस्से विशेष पर अप्रार्थीगण काबिज हो जाते हैं तो मौके की स्थिति में बदलाव हो जाएगा जिससे वाद बहुलता बढेगी तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 के सम्बन्ध में, इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26.08.22 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल ना तो स्वयं करें, नाहीं अन्य से करावे। रहन, बेचान नहीं करें तथा नाही सायलान के हक हकूक को नुकसान पहुंचाये। रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 25.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)